**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1477**

**उत्तर देने की तारीख: 29.07.2025**

**चिंतन शिविर**

**1477. श्री भोजराज नाग:**
**श्री बलभद्र माझी:**
**श्री देवुसिंह चौहान:**
**श्री खगेन मुर्मु:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चिंतन शिविर के बाद सरकार को कोई उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप किसी योजना को सुदृढ़ या विस्तारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिविर से अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), वरिष्ठ नागरिकों या दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने में कोई सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस आयोजन के बाद से सरकार द्वारा प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों या कार्यान्वित सुधारों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री बी.एल. वर्मा)**

**(क) से (घ):** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न अधिनियमों और उससे संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इन अधिनियमों और योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्यतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन है। अधिनियमों और योजनाओं के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन और योजनाओं की समीक्षा करने, अच्छे तरीकों को साझा करने, राज्यों के मुद्दों का समाधान करने और धनराशि जारी करने आदि के लिए मंत्रालय चिंतन शिविरों का आयोजन करता है, जिसका उद्देश्य सामंजस्य को बढ़ावा देना, केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समन्वय बढ़ाना और क्षेत्र स्तर पर सरकारी सेवाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी चिंतन शिविर में भाग लेते हैं, जिससे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजनाओं की बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन होता है।

राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर मंत्रालय योजनाओं की समीक्षा करता है, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए कुछ योजनाओं के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जाता है। लंबे समय से लंबित मुद्दे जैसे कि उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, अनुदान सहायता योजनाओं के तहत लाभार्थी डेटा प्रस्तुत करने, छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर समय पर डेटा प्रस्तुत करने, राज्य सरकारों के पास पड़े एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की शेष राशि को खर्च करने, योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने आदि से संबंधित मुद्दों का समाधान किया गया, जिससे लक्षित लाभार्थियों को समय पर धनराशि जारी करने में सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

*****